

**चुनाव अत्यावश्यक**

**राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 14-10-2020

**—: आदेश :—**


हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2020 के लिए मतदान दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को सम्पन्न होंगे। अतः भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी जो हरियाणा राज्य की 33-BARODA विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(डॉ. मोहन लाल यादव)  
विशिष्ट शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

01. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
04. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
05. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
06. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
07. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
08. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
09. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 3806 दिनांक 07.10.2020 के क्रम में।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान।
16. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक 4347 दिनांक 5.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

  
14/10/20  
सहायक शासन सचिव